

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 21.11.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 45 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. इन्दर पुत्र छोटेलाल नि० परसियारानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 216 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुमित पुत्र सालिकराम नि० बरियारपुरवा सोनार वाली गली थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 257 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जुगला पत्नी स्व० रामबहादुर नि० खलवा सोहास थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 292 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजकुमार उर्फ मोलहू पुत्र सीताराम, 02. दिनेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र दद्वन, 03. पंकज उर्फ कल्लू पुत्र सीताराम नि० छोटा दरवाजा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 362 / 20, 02. ओमे उर्फ प्रकाश पुत्र शंकर नि० गिरधारीपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 363 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दिनेश कुमार पुत्र केशवलाल नि० हिन्तीपुरवा डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 387 / 20, 02. सियाराम पुत्र निर्मोही नि० बाबूपुरवा डेहरास थाना

परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 388 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

06. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सनेही उर्फ राजकुमार पुत्र कल्पनाथ नि0 गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 410 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

07. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अजय सोनकर पुत्र निर्मल सोनकर नि0 खम्हरिया हरिवंश थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 472 / 20, 02. छन्नू पुत्र ननकउ नि0 ककरहवा मछलीगांव थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 475 / 20, 03. बाबू पुत्र रामदीन नि0 मछलीगांव रोहांवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 475 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

08. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सहदेव सोनकर पुत्र कन्हई लाल सोनकर नि0 इमलिया गुरुदयाल थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 899 / 20, 02. देवीदीन पुत्र सन्ते नि0 राधेपुरवा मौजा गिर्द थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 902 / 20, 03. राजेन्द्र सोनकर पुत्र हरीप्रसाद नि0 राधेपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 903 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

आम्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही –

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त – कृष्ण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायन नि0 भगोहर पेट्रोल पम्प के पास थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 364 / 20, धारा 4 / 25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01- 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों – 01. टोनी पुत्र बड़कउ नि0 कस्बा खरगूपुर सब्जी मण्डी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, 02. बड़कउ उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र शैफू नि0 अलीनगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 265 / 20, 267 / 20, धारा 4 / 25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही –

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त – अशोक कुमार उर्फ फुदकी पुत्र गयालाल नि0 ज्ञानीपुरईश्वरी थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 477 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

अश्लील फब्तियां कसने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने अश्लील फब्तियां कसने के आरोपी अभियुक्त- देवेश तिवारी पुत्र बुद्धी सागर तिवारी नि0 नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त नगरपालिका कन्या इण्टर कालेज के पास खड़े होकर अश्लील गाने व फब्तियां कस रहा था जिससे आने जाने वाली लड़कियां क्षोभित हो रही थी । जिसको नवाबगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0- 477 / 20, धारा 294 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।